प्रति,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जी,
कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :– जिले में चल रहे अवैध सूद–खोरी के व्यवसाय को बंद कराने एवं सूदखोरो के खिलाफ कर्जा अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. (F.I.R.) दर्ज करा कर कार्यवाही कराने बाबत्।

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि हमारे जिले कबीरधाम में सूद–खोरी का व्यवसाय अवैध रूप से एवं बहुत ही गंदे तरीके से जोरो पर है जिसमें कबीरधाम जिले के लगभग एक हजार (1000) से भी अधिक युवा साथी इस चंगुल में फस चुके है तथा कुछ लोग सूद–खोरो के डर से अपने परिवार एवं नौकरी तक को छोड़कर लगभग 6–7 महीनो से गायब है जिनका कोई अता–पता नहीं है।

इस कारोबार में लोग सबसे ज्यादा राजकुमार सोनी पिता छोटेलाल सोनी पता– शिक्षक नगर कवर्धा से प्रताडित है राजकुमार सोनी अपने साथी इमरान खान पिता हैदरअली खान पता– घोठिया रोड कवर्धा के माध्यम से जरूरतमंद लोगो को जमीन की पर्ची, 50 रू. का हस्ताक्षर किया हुआ कोरा स्टॉप एवं हस्ताक्षर किया हुआ बैंक चेक, मोटर साईकिल एवं कार की आर.सी. बुक को जमा करा कर 10% से 20% महीने की दर से लोगो को पैसा देता है और जब महीने की ब्याज तारीख को ब्याज पटाने का समय आ जाता है तो उस दिन अपनी पत्नि अकृति सोनी एवं अपने 50 गुण्डों के द्वारा ब्याज की वसूली कराता है और जो व्यक्ति उसके ब्याज दिनांक के दिन ब्याज नहीं पटा पाता है तब वह उसी दिन से महीने का जो ब्याज दर राशि है उसे रोजी में जोड़कर प्रतिदिन मूलरकम का 10% राशि प्रतिदिन मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दे कर अपने गुण्डों के माध्यम से वसूलता है।

विगत पिछले 5 वर्षो में राजकुमार सोनी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी मेरे जीजा जी है और विधायक कवर्धा मेरा खास आदमी है दोनो के रहते मेरा काई कुछ भी नहीं बिगाड सकता है कहकर लोगो को धमकाता रहा और ब्याज वसूलता बहुत लोगों के द्वारा थाना कवर्धा एवं अजाक थाना कवर्धा तथा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के पास शिकायत किया गया। लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुआ फिर इसकी सूचना मिलने पर राजकुमार सोनी धमकी में बोलने लगा कि मैंने कवर्धा थाना एवं आजाक थाना कवर्धा थाना दोनो के थानेदार को पैसे

mg

कार्यालय पुलिस ... जिला–कबीरधाम (छ.ग.) 27/06/...

Scanned with CamScanner

देकर खरीद लिया है वहा मेरे खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकता और मै जब भी चाहू किसी को भी जेल भिजवा सकता हूँ। अब राजकुमार सोनी धमकी दे रहा हैं कि मैं आर.एस.एस. (राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ) का बहुत बड़ा नेता हूँ तथा कवर्धा विधायक एवं छ. ग. राज्य के गृहमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी मेरा बड़ा भाई हैं। अब मैं और भी किसी से नहिं डरता और मेरा सूदखोरी का कारोबार और जोरो से चलेगा। राजकुमार सोनी खुद ही अपने मुह से हम लोगों को धमकी देते हुये कबुलता है कि मैने 15 वर्षो में ब्याज वसूल कर 20 करोंड़ रूपये के संपत्ती बनाई है मै किसी व्यक्ति को यदि 1 लाख रूपया ब्याज में देता हूँ तो उससे कम से कम 20 लाख रूपये वसूलता हूँ। यकिन नहीं है तो पता लगा लो मैनें कपील नारायण गंधर्व, आर्यन कोचिंग के मालिक से 5 लाख रूपये दे कर 80 लाख रूपये वसूला है और आगे पैसा नहीं दे पाया तो उसे गायब करवा दिया एवं बिजली विभाग में बाबू था साहू जी जिससे 3 लाख का 25 लाख रूपया ब्याज वसूला जब पैसा नहीं दे पाया तो वह भी आज तक गायब है और देवदास घृतलहरे (शिक्षक) मेरे से कई नामो से 5 लाख रूपये लिया था मुझे 60 लाख रूपये ब्याज पटाया और आगे ब्याज नहीं दे पाया तो उसी दिन से गायब है इसलिये तुम लोग भी सोच लो समझ लो जो मुझे रोज रोजी का पैसा नहीं दे पायेगा वह या तो अपने जान से हाथ धो बैठेगा या उन लोगो की तरह ही गायब हो जायेगा। मै सभी के चेक में 10 गुना राशि भरकर कोर्ट में लगाकर राशि वसूल लूंगा।

अतः महोदय जी से सादर निवेदन है कि हम कुछ साथी आपके पास हिम्मत करके फिर से शिकायत कर रहे है हमे भरोसा है कि आप राजकुमार सोनी पिता छोटेलाल सोनी के खिलाफ कर्जा अधिनियम (सूद-खोरी) की धारा लगवा कर उसे जेल भेजवाने एवं कवर्धा जिला के जितने भी युवक साथी के जमीन की पर्ची, कोरा स्टॉप, बैंक चेक, मोटर साईकिल व कार की आर. सी. जो राजकुमार सोनी कब्जा कर अपने घर में रखा है उसे पुलिस द्वारा छापा मरवाकर वापस दिलाने की एवं इनकम टैक्स विभाग से राजकुमार सोनी ने अवैध सूदखोरी से जो 20 करोड़ की जो अवैध संपत्ती बनाई है उसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही कर हम लोगो को राजकुमार सोनी के चंगुल से बचाने एव हम लोगो को सहीं इन्साफ दिलाने की महति कृपा करें।

दिनांक :- 07/06/2024

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण

नाम — हस्ताक्षर

1. विरेन्द्र खाण्डे (गोंठिया)
2. जीवन चतुर्वेदी (दुल्लापुर)
3. सुरेश जाटवर (कवर्धा)
4. कमलेश सोनकर (छिरहा)
5. प्रमोद धृतलहरे (लिमो)
6. हुकमीचंद धृतलहरे (इंदौरी)
7. शशि बंजारे (इंदौरी)
8. रविकुमार (गंडई)
9. बिसनाथ चंद्रवंशी (पोंडी)
10. मनीष दास (कवर्धा)
11. भानू सतवंशी (बोड़ला)
12. लोकेश चंद्रवंशी (कवर्धा)
13. गोलू साहू (कवर्धा)
14. सुखनंदन दास (पनेका)

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान थाना प्रभारी कवर्धा जिला कबीरधाम को सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमान जिला इनकम टैक्स अधिकारी जिला कबीरधाम छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
4. सर्व मिडिया प्रभारी जिला कबीरधाम को सादर सूचनार्थ ।

Scanned with CamScanner